न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 83/2023

पीठासीन अधिकारी — कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अनवान

वादीगण — 1.आसीयत पत्नि शेरखां, जाति मुसलमान, निवासी ईटादा तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण — 1.रहीम 2.करीम 3.जाम 4.सुमार 5.कासम पि.सतार 6.अजीम 7.आमद 8.चाकर 9.कला पि.वरसा, जाति मुसलमान, निवासी ईटादा तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर
10.तहसीलदार धनाऊ

अधिवक्तागण — वादीगण वकील — **श्री दोष मोहम्मद**
प्रतिवादीगण वकील — **श्री हासम खान**

निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.

दिनांक :— 11.03.2025

उपरोक्त वाद में न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार धनाऊ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार धनाऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव उन्हें स्वीकार है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार निर्णय करते हुए डिक्री जारी की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार [illegible]

अतः न्यायाहित में तहसीलदार धनाऊ द्वारा [illegible] विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा ईटादा [illegible] खसरा सं. 2[illegible] रकबा 25.02 बीघा (04.0630 हैक्टेयर) पटवार क्षेत्र ईटादा, तहसील धनाऊ [illegible] विवादित भूमि [illegible] में उनके हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर [illegible] पृथक खाते कायम किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.03.21 13:39:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(CDC) चौहटन

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगान	वरंग
1	आसियत पत्नि शेरखान, जाति मुसलमान, सा.देह खातेदार	ईटादा	220	01.1850			बैंगनी
योग			1	01.1850			बैंगनी
2	रहीम,करीम,जाम,सुमार,कासम पि. सतार,अजीम,आमद,चाकर, कला पि.वरसा, कौम मुसलमान, सा.देह खातेदार	ईटादा	220	02.8780			पीला
			1	02.8780			पीला

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावे। मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.03.21 13:39:37 IST
Reason: SelfAttested

2?/12/22

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत **सहायक कलक्टर ,चौहटन** मुकाम **चौहटन**

व इजलास **कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.**

अनवान :–

वादीगण – 1.आसीयत पत्नि शेरखां, जाति मुसलमान, निवासी ईटादा तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.रहीम 2.करीम 3.जाम 4.सुमार 5.कासम पि.सतार 6.अजीम 7.आमद 8.चाकर 9.कला पि.वरसा, जाति मुसलमान, निवासी ईटादा तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर
10.तहसीलदार धनाऊ

वाद अर्न्तगत धारा 88,53,188 RT Act.

मुकदमा नं. 83/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री दोष मोहम्मद** एड. **मिनजानिब** मुदाई व **श्री हासम खान**एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र ईटादा के **मौजा ईटादा में खसरा सं. 220 रकबा 25.02 बीघा** का आया हुआ है। उक्त विवादित खसरों की भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है। लगातार शेष पृष्ट पर.......................... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्राथी तक .... को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11.03.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

दस्तखत.........................

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.03.21 13:39:37 IST
Reason: SelfAttested

ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रूपया		[illegible]	रूपया	
स्टाम्प अर्चीदाया			[illegible]		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प सबूत			स्टाम्प वर्जी		
पइमनामा वकील			[illegible]		
खर्चा गवाहान			[illegible]		
फीस कमीश्नर			[illegible]		
बाबत इजराय हुक्मनामा			[illegible] मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट – इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगान	
1	आसियत पत्नि शेरखान, जाति मुसलमान, सा.देह खातेदार	ईटादा	220	01.1850			बैंगनी
योग			1	01.1850			बैंगनी
2	रहीम,करीम,जाम,सुमार,कासम पि. सतार,अजीम,आमद,चाकर, कला पि.वरसा, कौम मुसलमान, सा.देह खातेदार	ईटादा	220	02.8780			पीला
			1	02.8780			पीला

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.03.21 13:39:37 IST
Reason: SelfAttested